



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042026-271779
CG-DL-E-13042026-271779

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2026/चैत्र 23, 1948

No. 06]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2026/CHAITRA 23, 1948

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2026

का.नि.आ. 6(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (फायर इंजन ड्राइवर 'क', फायर इंजन ड्राइवर 'ख' और फायर इंजन ड्राइवर 'ग') पद, भर्ती नियम, 2017 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (फायर इंजन ड्राइवर 'क', फायर इंजन ड्राइवर 'ख' और फायर इंजन ड्राइवर 'ग') पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (फायर इंजन ड्राइवर 'क', फायर इंजन ड्राइवर 'ख' और फायर इंजन ड्राइवर 'ग') पद, भर्ती नियम, 2017, की अनुसूची में, फायर इंजन ड्राइवर 'क' पद के सामने, स्तंभ (7) में, "अनिवार्य" शीर्षक के अधीन—

(क) पैरा (iv) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

(iv) शारीरिक रूप से स्वस्थ और श्रमसाध्य कर्तव्यों के पालन में सक्षम होना चाहिए और निम्नलिखित विनिर्दिष्ट परीक्षण उत्तीर्ण करना चाहिए।:-

(क) शारीरिक मापदंड

	पुरुष	महिला
ऊंचाई बिना जूतों के	न्यूनतम 165 सेंटीमीटर	न्यूनतम 157 सेंटीमीटर
सीना (बिना फुलाए)	न्यूनतम 81 सेंटीमीटर	लागू नहीं होता
सीना फुलाव	न्यूनतम 05 सेंटीमीटर	लागू नहीं होता
भार	न्यूनतम 50 किलोग्राम	न्यूनतम 45 किलोग्राम

- (i) कोई शारीरिक विकृति तथा टेढ़े पैर, अंतर्वक्र जानु और सपाट पैर नहीं हो; और
- (ii) पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई और/या सीने की माप में अधिकतम 2.5 सेंटीमीटर की छूट अनुज्ञात की जा सकती है।

(ख) चिकित्सा मानदंड:

दृष्टि

- (i) बिना किसी सहायक उपकरण के दूर की दृष्टि 6×6
- (ii) 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सुधार सहित निकट दृष्टि सामान्य
- (iii) प्रत्येक आँख में पूर्ण दृश्य क्षेत्र
- (iv) रतौंधी और वर्णांधता न हो

(ग) शारीरिक क्षमता परीक्षा

पुरुष अभ्यर्थी

- (i) 07 मिनट में 1600 मीटर की दौड़।
- (ii) ऊर्ध्वाधर रस्सी पर 3 मीटर ऊँची चढ़ाई (जमीन से 3 मीटर ऊपर); और
- (iii) 20 सिट-अप्स।
- (iv) 2.7 मीटर चौड़ी खाई को कूद कर पार करना और दोनों पैरों पर खड़े होना (लंबी कूद) (दिए गए 3 अवसरों में से किसी एक में सफल हो)।

महिला अभ्यर्थी

- (i) 05 मिनट में 800 मीटर की दौड़।
- (ii) ऊर्ध्वाधर रस्सी पर 2.5 मीटर ऊँची चढ़ाई (जमीन से 2.5 मीटर ऊपर)।
- (iii) 15 सिट-अप्स; या
2.0 मीटर लंबी कूद — (दिए गए 3 अवसरों में से किसी एक में सफल हो)
- (घ) 40 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थियों के लिए प्रदर्शन मानदंडों में 10% की छूट होगी,

- (ख) पैरा (iv) के पश्चात, निम्नलिखित पैरा (v) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—
“(v) रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा संचालित चालन परीक्षा उत्तीर्ण की हो।”

[फा. सं. डीएचआरडी/87661/भर्तीनियम/सी/पी/02/ डी1278 तारीख, 13 अप्रैल, 2026]

डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में का.नि.आ. 2, तारीख 28 दिसंबर 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2026

S.R.O. 6(E)— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group ‘C’ (Fire Engine Driver ‘A’, Fire Engine Driver ‘B’ and Fire Engine Driver ‘C’) posts Recruitment Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group ‘C’ (Fire Engine Driver ‘A’, Fire Engine Driver ‘B’ and Fire Engine Driver ‘C’) posts Recruitment (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group ‘C’ (Fire Engine Driver ‘A’, Fire Engine Driver ‘B’ and Fire Engine Driver ‘C’) posts, Recruitment Rules, 2017, in the Schedule, against the post of Fire Engine Driver ‘A’, in column (7), under heading “**Essential**”,-

(a) for paragraph (iv), the following paragraph shall be substituted, namely:-

“(iv) Must be physically fit and capable of performing strenuous duties and passed the tests specified as under:-

(A) Physical Measurement :

	Male	Female
Height without shoes	165 centimeter minimum	157 centimeter minimum
Chest(un-expanded)	81 centimeter minimum	Not Applicable
Chest expansion	05 centimeter minimum	Not Applicable
Weight	50 Kilogram minimum	45 Kilogram minimum

(i) no physical deformity and bow legs, knock knee and flat foot; and

(ii) a maximum relaxation of 2.5 centimeter in height and/or in chest may be allowed for candidates belonging to hilly areas.

(B) Medical Standards:

Vision

- (i) distant 6x6 without aids;
- (ii) near vision normal but with corrections for person above 40 years of age;
- (iii) each eye must have full field of vision; and
- (iv) no night and colour blindness.

(C) Physical Endurance Test:**Male candidates**

- (i) running a distance of 1600 meter in 07 minutes time;
- (ii) 03 meter vertical rope climbing (03 meter foot above ground);
- (iii) 20 sit ups; and
- (iv) clearing 2.7 meter wide ditch and landing on both feet (long jump) (to achieve in any one of the 03 chance given).

Female Candidates

- (i) running a distance of 800 meter in 05 minutes time;
- (ii) 2.5 meter vertical rope climbing (2.5 meter foot above ground); and
- (iii) 15 sit ups; and
or
long jump of 2.0 meter (to achieve in any one of the 03 chance given).

- (D)** There shall be 10% relaxation in performance standards for candidates having age more than 40 years.”;

- (b) after paragraph (iv), the following paragraph (v) shall be inserted, namely:-

“(v) Pass the driving test conducted by Defence Research and Development Organisation.”.

[F. No. DHRD/87661/RRs/C/P/02 /D1278 dated, 13 April, 2026]

Dr. ISHITA GANGULI TRIPATHY, Jt. Secy.

Note:-The Principal rules were published in Gazette of India, Part II, Section 4, vide S.R.O. 2, dated the 28th December 2017.